वर्ष 4 अंक 7 जूलाई 1982 50 पैसे

सीटू मजदूर

सी. आई. टी. यू. का मासिक मुखपत्र

मजदूर विरोधी काले विधायकों का प्रतिरोध करो

ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रीय अभियान समिति ने 4 जून को नई दिल्ली में सम्पन्न अपनी बैठक में संसद के पिछले अधिवेशन में एक के बाद एक विधेयक पेश करके मजदूरों के ट्रेड यूनियन अधिकारों को छीनने की भारत सरकार की नीतियों की निन्दा की. इसने सर्वसम्मति से चारों विधेयकों को नामंजूर कर दिया और 8 जुलाई को संसद के अधिवेशन के प्रथम दिन पूरे देश में "विरोध दिवस" मनाने आ आह्वान किया एवं इंटक की आलोचना की क्योंकि काले विधेयकों को समर्थन देकर इसने अपने काले चेहरे को बेनकाब कर दिया है. कांग्रेस सरकार के प्रति अपनी वफादारी दिखाने के उत्साह में इसने एक बार फिर मजदूर वर्ग के साथ गद्दारी की है.

अभियान समिति ने समस्त सम्बन्धित संगठनों से 8 जुलाई को संसद पर व समस्त राज्यों की राजधानियों तथा औद्योगिक केन्द्रों पर रैली तथा प्रदर्शन करने का आह्वान किया है.

कमेटी ने निम्नांकित प्रस्ताव पारित किया:—

"कमेटी संसद के पिछले सत्र में पेश किए गये घोर मजदूर तथा ट्रेड यूनियन विरोधी संशोधन विधेयकों, विशेष रूप से औद्योगिक विवाद (संशोधन) तथा ट्रेड यूनियन (संशोधन) विधेयकों का खण्डन तथा तीव्र निन्दा करती है. ये प्रस्तावित विधेयक लगभग उसी 1978 के कुख्यात औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक की नकल हैं जिसे इंटक सहित सम्पूर्ण ट्रेड यूनियन आन्दोलन के जोरदार विरोध का सामना करना पड़ा था और उसे लागू नहीं किया जा सका.

यह विधेयक फरवरी 78 के सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले की निर्लज्जता पूर्वक अवहेलना करता है जिसमें अस्पताल तथा शैक्षिक संस्थाओं को उद्योग की सीमा में लाने के लिए "उद्योग" शब्द की परिभाषा को काफी विस्तृत किया गया है. इस विधेयक ने इन सभी संस्थानों को विशेश रूप से औद्योगिक विवाद अधिनियम के दायरे से बाहर रखा है और इन संस्थानों में हड़तालों पर पाबन्दी तथा अनिवार्य मध्यस्थता थोपने वाला एक नया विधेयक पेश किया गया है जैसा कि जनता सरकार ने किया था.

ये दोनो संशोधन विधेयक ट्रेड यूनियन अधिकारों पर संगठनों की शुरुआत से लेकर उनकी कार्यप्रणाली और मजदूर हितों की रक्षा हेतु की जाने वाली कार्यवाहियों तक उत्तरोत्तर बढ़ने वाली कड़ी पाबन्दियां थोपने के प्रयास हैं. इनमें अनुचित श्रम व्यवहार के नाम पर दण्डात्मक प्राविधान रखे गये हैं, यहां तक कि गैरकानूनी हड़ताल में हिस्सेदारी के बहाने यूनियनों का पंजीकरण भी रद्द किया जा सकता है. अफसरशाही के अधिकारों को और भी बढ़ाया जा रहा है जिससे कि वे यूनियनों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकें.

कमेटी विधेयकों को पेश करने से पहले ट्रेड यूनियनों से सलाह-मशविरा न करने पर अपना रोष प्रकट करती है. बदनाम आश्यक सेवा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियमों के साथ साथ इन प्रतिक्रियावादी विधेयकों का उद्देश्य देशी और विदेशी बड़े पूँजीपतियों के आदेश पर मजदूर वर्ग तथा उनकी ट्रेड यूनियदों का गला घोंटना तथा बुनियादी ट्रेड यूनियन हकों पर चौतरफा हमला करना है.

अभियान समिति इन विधेयकों के खिलाफ जोरदार अभियान छेड़ने और ज्यादा से ज्यादा मजदूरों, कर्मचारियों के बीच इनका पर्दाफाश करने के लिए समस्त सम्बद्ध संगठनों का आह्वान करती है. कमेटी संसद के आगामी सत्र के पहले दिन समस्त औद्योगिक केन्द्रों, राज्यों की राजधानियों तथा संसद पर प्रदर्शन करके 'मजदूर विरोधी काला विधेयक दिवस' मनाने का आह्वान करती है जिससे कि इन प्रतिक्रियावादी विधेयकों के खिलाफ मजदूरों तथा ट्रेड यूनियनों के जोरदार प्रतिरोध को जाहिर किया जा सके तथा इन काले विधेयकों को वापस लेने के लिए अन्ततः सरकार को मजबूर किया जा सके."

8 जुलाई को प्रदर्शन करो

कपड़ामजदूरों का हड़ताल

राष्ट्रीय अभियान समिति ने 19 जून से छठे महीने में प्रवेश करने वाली बम्बई के कपड़ा मिल मजदूरों की हड़ताल के प्रति अड़ियल रुख अपनाने के लिए महाराष्ट्र तथा केन्द्र सरकार की निन्दा करते हुए एक प्रस्ताव पास किया. समिति ने ढाई लाख हड़ताली मजदूरों को बधाई दी तथा लम्बी हड़ताल के साथ एकजुटता जाहिर करने के लिए देश के समस्त मजदूर तपकों विशेष रूप से कपड़ा मजदूरों का आह्वान किया.

सीटू ने हड़ताली यूनियनों के साथ बात-चीत करने की मांग करते हुए महाराष्ट्र के श्रममंत्री को तार भेजने के लिए अपनी तमाम यूनियनों का आह्वान किया है. सीटू ने हड़ताली मजदूरों के लिए संघर्ष कोष जमा कर उसे सीटू की महाराष्ट्र राज्य कमेटी के पास भेजने का भी आह्वान किया है.

राजस्थान के बिजली मजदूरों की हड़ताल

अभियान समिति ने एक अन्य प्रस्ताव के माध्यम से राजस्थान विद्युत परिषद के हड़ताली कर्मचारियों के साथ अपनी एकजुटता का आह्वान किया है तथा मजदूरों के खिलाफ तमाम बदले की भावना से की गई कार्यवाहियों को वापस लेने और विवाद को तै करने के लिए ज्वाइण्ट एक्शन केमेटी के साथ शीघ्र वार्ता शुरू करने की मांग की है.

1 जून को दिए गये एक बयान में सीटू अध्यक्ष बी.टी. रणदिवे ने दो हजार से ऊपर हड़ताली कर्मचारियों को गिरफ्तार करने तथा काम से गैरहाजिरी के कारण 40 हजार कर्मचारियों को बर्खास्तगी की धमकी देने के लिए राजस्थान सरकार की निन्दा की है. उन्होंने कहा कि न्यायोचित मांगों के लिए हड़ताल को काम से गैरहाजिर करार करना तर्कविरुद्ध तथा क्रूरतापूर्ण है तथा यह स्वतंत्रता से पूर्व के दिनों में होने वाले दमन का अवशेष है उन्होंने सरकार से तुरन्त वार्ता शुरू करने की मांग की है तथा बहादुरी के साथ लड़ने के लिए मजदूरों को बधाई दी है.

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्धोगों में संयुक्त सम्मेलन

एक बैठक में लिए गये निर्णय के मुताबिक भेल (BHEL) तथा इस्पात उद्योग का संयुक्त सम्मेलन क्रमशः 21,22 को भोपाल में और 17,18 जुलाई को बोकारों में होना निश्चित हुआ है. कोयला उद्योग का संयुक्त सम्मेलन 21,22 अगस्त को धनबाद में होगा. बैठक ने सम्मेलनों को सफल बनाने के लिए प्रगति की समीक्षा की

4 जून विरोध दिवस

4 जून को सरकार की मजदूर-विरोधी नीतियों के खिलाफ अखिल भारतीय विरोध-दिवस मनाया गया. राज्यों में संयुक्त रैलियों और प्रदर्शनों का आयोजन किया गया. प. बंगाल त्रिपुरा तथा अन्य प्रान्तों से तमाम ट्रेड युनियनों के द्वारा विरोद्य दिबस मनाने के समाचार प्राप्त हुए हैं।

सम्पूर्ण त्रिपुरा राज्य में रैलियों और जुलूसों का आयोजन किया गया तथा अगरतला में एक केन्द्रीय रैली का आयोजन हुआ जिसमें सीटू नेताओं सहित अन्य लोगों ने भाषण दिए.

केन्द्रोय ट्रेड यूनियनों द्वारा उत्पादता बैठक का वहिष्कार

राष्ट्रीय अभियान समिति से सम्बद्ध समस्त केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने 15 जून को श्रम मंत्रालय द्वारा उत्पादकता पर आयोजित सभा का बहिष्कार किया.

इस आह्वान को नामंजूर करते हुए नेताओं ने श्रम सचिव को उत्तर दिया जिसमें यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने यह घोषणा करने से पूर्व ट्रेड यूनियनों से कोई सलाह नहीं ली. आधा वर्ष गुजर जाने के बाद इस बैठक को बुलाने के पीछे ट्रेड यूनियनों से कोई सार्थक परामर्श करने का उद्देश्य नहीं दिखाई पड़ता. आर्थिक प्रगति के लिए औद्योगिक शान्ति की आवश्यकता सम्बन्धी सरकार के, कथन की आलोचना करते हुए ट्रेड यूनियनों ने कहा कि सरकार ने जिस तरीके से चार काले विधेयकों को पेश किया है उससे औद्योगिक शान्ति के लिए सरकार का कोई ईमानदारीपूर्ण इरादा जाहिर नहीं होता. न तो ट्रेड यूनियनों से पहले परामर्श किया गया और न ही विधेयकों को पेश करने के पूर्व इण्यिन लेबर कंफ्रेंस को इस उद्देश्य से बुलाया गया जैसा कि पहले आश्वासन दिया गया था. तथाकथित बैठक को नामंजूर करते हुए पत्र में संसद द्वारा विधेयकों पर विचार करने से पहले इण्डियन लेबर कंफ्रेंस बुलाने की मांग की गई है.

आई. एल. ओ. सम्मेलन के लिए मजदूरों के प्रतिनिधित्व के सवाल पर यूनियनों की शिकायत

राष्ट्रीय अभियान समिति से सम्बद्ध आठ केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक श्री लुइस ब्लाशां को आई. एल. ओ. सम्मेलन के लिए मजदूरों के प्रतिनिधिमंडल के गठन के सम्बन्ध में निम्नांकित तार भेजा है:

"आई. एल. ओ. के 68 वें अधिवेशन के लिए भारत सरकार द्वारा केवल इंटक द्वारा चुने गये मजदूरों के प्रतिनिधिमण्डल को नामांकित किए जाने का तीव्र विरोध. अधिवेशन में केवल 25 प्रतिशत संगठित मजदूरों का प्रतिनिधित्व होगा तथा यह प्रतिधिमण्डल वास्तविक प्रतिनिधि नहीं है. सरकार ने संयुक्त प्रतिनिधिमण्डल के लिए कोशिश किए वगैर इंटक को वीटो पावर दे दिया है. इस प्रतिनिधिमण्डल के खिलाफ हम अपना एतराज दर्ज करते हैं तथा इस प्रतिनिधि मण्डल को चुनने के तरीके के बारे में अपनी शिकायत दर्ज करते हैं.

बी. एच. ई. एल मजदूरों द्वारा देशव्यापी संघर्ष की तैयारी

21-22 जून को भोपाल में सम्पन्न भेल मजदूर सम्मेलन में सभी 300 प्रतिनिधियों ने आगामी वेतन समझौतों के लिए प्रशासन को पेश किए जाने वाले मांगपत्र को एकमत से पास कर दिया.

राष्ट्रीय अभियान समिमि के निर्णयानुसार आयोजित इस सम्मेलन में इंटक को छोड़कर भेल संयुक्त समिति की घटक सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने हिस्सा लिया.

सम्मेलन की अध्यक्षता एन वी भास्कर राव (सीटू) सुरेश शर्मा (बी एम एस), अब्दुल रज़ाक (एटक) और एम डब्लू सिद्दीकी (एच एम एस) को लेकर चुने गये अध्यक्ष मण्डल ने की.

सम्मेलन ने एक प्रस्ताव के द्वारा मजदूर आन्दोलन के शहीदों तथा हाल में दिवंगत मजदूर नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की.

सीटू सचिव एम. के. पंधे ने अपने बक्तव्य में भेल संयुक्त समिति द्वारा लम्बित मामलों को तै न करने, तथा वेतन को उत्पादकता से जोड़ने के बी. पी. ई. के निर्देशों की आलोचना करते हुए वेतन जाम की नीति को छोड़ने के लिए प्रशासन और सरकार को मजबूर करने के लिए भेल कर्मचारियों के एकजुट संघर्ष पर जोर दिया.

होमी दाजी, ओ. पी. आधी और डी. पी. शास्त्री आदि ने क्रमशः एटक, वी. एम. एस. तथा एच एम एस की तरफ से अपना विचार रखा और देशव्यापी संयुक्त आन्दोलन के महत्व पर जोर दिया.

वहस में हिस्सा लेते हुए विभिन्न यूनियनों के 20 प्रतिनिधियों ने लटके हुए मामलों तथा भेल में व्याप्त भ्रष्टाचार का जिकर किया और प्रशासन के खिलाफ मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए एकजुट संघर्षों पर जोर दिया.

सम्मेलन द्वारा पारित 33 सूत्री मांगपत्र में 1000 रुपये न्यूनतम वेतन, 2.50 रुपये प्रति प्वाइंट मंहगाइ भत्ता, वाहन भत्ता, आवास सुविधा अथवा 25 से 35 प्रतिशत आवास भत्ता, वेहतर स्वास्थ एवं शैक्षिक सुविधा, अधिक नगर भत्ता, वेहतर पदोन्नति सुविधा, एल. टी. सी. को ओर अधिक उदार बनाने, अधिक ग्रेच्युटी और. पी. एफ. सुविधा तथा ठेकेदारी प्रथा की समाप्ति आदि महत्व पूर्ण मांगों को उठाया गया है.

सम्मेलन ने एक प्रस्ताव के माध्यम से बम्बई के कपड़ा मजदूरों को बधाई दी और सरकार से हड़ताली यूनियनों से वार्ता करके, विवादों को शीघ्र हल करने की मांग की तथा एक अन्य प्रस्ताव द्वारा काले विधेयकों के विरोध में 8 जुलाई को प्रदर्शन करने का आह्वान किया.

भेल कर्मचारियों के संयुक्त आन्दोलन का कार्यक्रम सम्बन्धी प्रस्ताव पेश करते हुए एम. के. पंधे ने 15 जुलाई को प्रदर्शनों और रैलियों के साथ मांग-दिवस मनाने तथा समय-समय पर अगला कार्यक्रम तै करने के लिए सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों में से दो दो तथा सभी स्वतन्त्र यूनियनों में से दो दो प्रतिनिधियों को लेकर एक संघर्ष समिति बनाने का प्रस्ताव किया.

एकजुट संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए एकता और दृढ़ निश्चय के माहौल में सम्मेलन खत्म हुआ.

22 जून को एक आम सभा हुई जिसे एम. के. पन्धे, होमी दाजी, ओ. पी. आधी, और. एच. एम. एस. के बृजमोहन तूफान ने सम्बोधित किया.

पश्चिम एशिया में इस्राइली आक्रमण की सीटू द्वारा निन्दा

सीटू अध्यक्ष का. बी. टी. रणदिवे ने 22 जून को निम्न-लिखित बयान जारी किया:

सीटू इस्राइल के यहूदीवादी शासकों द्वारा, फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन द्वारा नियंत्रित इलाकों को विशेष रूप से निशाना बनाते हुए, लेवनान पर आक्रमण की निन्दा करता है. पश्चिम एशिया के तेल उत्पादक क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण चाहने वाले अमरीकी साम्राजियों के सहयोग से यहूदीवादी आक्रमणकारियों ने विश्व जनमत और सभी अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों का उल्लंघन करते हुए अरब क्षेत्रों पर बार-बार आक्रमण किया और एक-एक करके तमाम इलाकों पर कब्जा कर लिया. उनका मौजूदा लक्ष्य अपने स्वयं के एक देश के लिए संघर्ष करने वाले फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन को खतम करना है. इस प्रक्रिया में उन्होंने अरब इलाकों पर कब्जा कर लिया तथा लेवनान स्थित सभी सीरियाई अरब प्रतिरोधी फौजों पर हमला किया और हजारों शान्ति प्रेमी साधारण नागरिकों को मौत के घाट उतारते हुए गम्भीर नुकसान पहुंचाया.

भारतीय मजदूर वर्ग की तरफ से सीटू अरब जनता, विशेष रूप से फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के प्रति अपनी एकजुटता का इजहार करता है और मांग करता है कि भारत सरकार गुटनिपेक्ष, समाजवादी तथा शान्तिप्रेमी विश्व ताकतों के सहयोग से इस्राइली आक्रमणकारियों को अन्याय पूर्ण युद्ध रोकने तथा कब्जा किए गये इलाकों को शीघ्र खाली करने के लिए मजबूर करने हेतु कदम उठाए.

सीटू अपनी सम्बद्ध यूनियनों को आदेश देता है तथा अन्य यूनियनों के लोगों से अपील करता है कि वे पश्चिम एशिया में अमरीका समर्थित इस्राइली आक्रमण के खिलाफ अपनी जोरदार आवाज उठाएं तथा अपनी मातृभूमि के लिए संघर्ष कर रहे फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन को पूरा-पूरा समर्धन दे.

फिलिस्तीनी जनता की सहायता करो

सीटू केन्द्र ने एक सर्कुलर जारी करके जल्द से जल्द रुपये और दवाएं, आदि इकट्ठा करके सीटू केन्द्र को भेजने का निवेदन किया है, जहां से इन्हें दिल्ली स्थित फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के दूतावास को भेज दिया जायगा.

न्यूनतम वेतन को कसौटी तै करने से सरकार का इंकार

न्यूनतम वेतन (केन्द्रीय) सलाहकार परिषद की चिरप्रतीक्षित बैठक 25 मई को सम्पन्न हुई. सीटू की तरफ से आर. उमानाथ बैठक में शामिल हुए. उन्होंने पूर्वनिर्णय के अनुसार बैठक में विचार किए जाने वाले समस्त विषयों पर एक विस्तृत स्मरणपत्र भी पेश किया था.

2. केन्द्रीय श्रम मंत्री ने अपने प्रारम्भिक भाषण में यह दावा किया कि बहुत से राज्यों में तथा 28 रवदान उद्योगों एवं चार अन्य उद्योगों में न्यूनतम वेतन निर्धारित करने के मामले में प्रगति हुई है. उन्होंने यह भी दावा किया कि जांच व्यवस्था को मजबूत बनाने तथा अनुसूचित उद्योगों में किसी मजदूर को निर्धारित दर से कम वेतन दिए जाने के मामले में कार्यवाही करने के आदेश दिए जा चुके हैं. उमानाथ ने विषय पर बोलते हुए यह सिद्ध कर दिया कि इन दावों में से कुछ बिलकुल झूठे हैं.

3. बैठक के एजेण्डे में कुल 14 विषय थे जिनमें से 4 सीटू द्वारा सुझाए गये थे तथा 2 प्रशासन के प्रतिनिधियों द्वारा .4 घण्टों के अन्दर पूरी बहस खतम कर दी गई और न्यूनतम वेतन की कसौटी निर्धारित करने का मुख्य विषय पहले की तरह ही अछूता रहगया, क्योंकि सरकार ने आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम बेतन तै करने के लिए 15वीं इण्डियन लेबर कन्फ्रेस द्वारा निरूपित मानदण्डों को स्वीकार करने से इंकार कर दिया. दूसरी तरफ सरकार ने "गुजारे लायक न्यूनतम बेतन" का एक नया सिद्धान्त पेश करने की कोशिश की जो कि उस "गरीबी रेखा वेतन" से भी कम है जिसकी सिफारिश योजना आयोग ने की थी और जिसे सम्पूर्ण ट्रेड यूनियन आन्दोलन ने पहले ही ठुकरा दिया था.

4. प्रशासन द्वारा प्रस्तावित दोनों विषय वास्तव में परिषद के उन पुराने निर्णयों को पुनः चालू करने के लिए ही मांग करते हैं कि जहां पर न्यूगतम वेतन लागू नहीं है वहां दावा किए जाने की तिथि से एक वर्ष तक के बकाये के साथ भुगतान अवश्य किया जाना चाहिए. उमानाथ ने इसका जोरदार विरोध किया और कहा कि प्रशासन संशोधन की तिथि से इसका भुगतान करने के लिए कानूनन वाध्य है. वे इस तर्क का सहारा लेकर अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते हैं कि मजदूरों ने न्यूनतम वेतन में संशोधन करने की मांग नहीं की थी. एक वर्ष तक बकाये के भुगतान का निर्णय, जो उनकी अनुपस्थिति में किया गया था, मालिकों को अपने आप में एक रियायत है. इस बात का कोई उचित आधार नहीं था और पुराने निर्णय को पुनः लागू करना एक गलत मिसाल होगी, अतः उस एजेण्डे को वहीं बन्द कर दिया गया.

5. प्रशासन की तरफ से एक एजेण्डा इस उद्देश्य से प्रस्तावित किया गया था कि राज्य सरकारों द्वारा उन उद्योगों में न्यूनतम वेतन तै करने का अधिकार छीन लिया जाय जिनकी शाखाएं कई राज्यों में फैली हुई हैं क्योंकि एक राज्य द्वारा तै की गई वेतन की मात्राश्रमिक अशान्ति को जन्म देती है. इसका उद्देश्य पिछड़े इलाकों की तरह वेतनों को कम करना है. उमानाथ ने इस विचार का विरोध किया और मांग की कि न्यूनतम वेतन में वृद्धि का अनुसरण करते हुए उद्योग की अन्य इकाइयों में भी वही वेतन दरें लागू की जानी चाहिए. उन्होंने तर्क दिया कि मालिकान इस्पात, कोयला तथा अन्य उत्पादनों की एक समान कीमत चाहते हैं परन्तु समान काम के लिए समान वेतन देने से इंकार करते हैं, जिसका मतलव है कि वे वेतन कम करने के लिए देश में भारी बेरोजगारी की स्थिति का फायदा उठाना चाहते हैं. इन विचारों को बहुतों ने समर्थन दिया और यह आम राय उभरी कि इस प्रकार के उद्योगों में न्यूनतम वेतन में वृद्धि करके पूरे देश के पैमाने पर एक समान वेतन होने चाहिए.

6. न्यूनतम वेतन तै करने की कसौटी के सवाल पर भी बहस हुई. परन्तु प्रशासन के विरोध के कारण कोई निर्णय नहीं हो सका जब कि मजदूर-प्रतिनिधियों ने एक मत से 15वीं इण्डियन लेवर कन्फ्रेंस के मानदण्डों की मांग की. सरकार ने निर्णय लेने अथवा कसौटी की संस्तुति के लिए एक कमेटी गठित करने सम्बन्धी सीटू के सुझाव को स्वीकार करने से इंकार कर दिया. सरकार ने अन्तरिम उपाय के रूप में 500/- न्यूनतम वेतन देने सम्बन्धी सीटू की मांग को स्वीकार करने से भी इंकार कर दिया.

7. अस्थिर महंगाई-भत्ते के सवाल पर देखा गया कि भिन्न-भिन्न दरें प्रचलित हैं. जब सरकार ने यह देखा कि बहुत से राज्यों में मौजूदा नियम स्वयं उनके द्वारा प्रस्तावित .02 पैसा प्रतिदिन से अधिक है तो उन्होंने बैठक में निर्णय लेने से इंकार कर दिया और न्यूनतम वेतन पर दूसरे बोर्ड के द्वारा छांटने के लिए छोड़ दिया जिससे चण्डी प्रसाद सीटू के प्रतिनिधि हैं.

8. न्यूनतम वेतन कानून के लागू होने से मजदूरों को अपने वेतन सुधारने में मदद मिली है. इस दावे के खोखले-पन को सीटू ने बेनकाव कर दिया. उमानाथ ने कहा कि एक-एक पैसे की वृद्धि के लिए कठिन लड़ाईयां लड़नी पड़ी हैं. अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित वेतन लागू न करने का मालिकों का रवैया स्वयं एण्जेण्डा-पत्रो से ही स्पष्ट है (पारा नं. 4, ऊपर). उन्होंने आगे कहा कि कानून के अन्तर्गत निर्धारित न्यूनतम वेतन लागू न करने के लिए मालिकों पर मुकदमा चलाने में सरकार की

(शेष पृष्ठ 14 पर)

द० म० रे० के गुँटुपल्लो वैगन कारखाने में तालाबन्दी

गुण्टूपल्ली कारखाने में भरती में की जा रही धांधली ने मजदूरों को इतना क्रोधित कर दिया कि 23 अप्रैल को लिस्ट छपते ही अचानक विरोध भड़क उठा. मजदूरों का मूड कुछ ऐसा था कि कारवाने की मान्यताप्राप्त तथा गैरमान्यता-प्राप्त सभी छः यूनियनों ने मिलकर एक 13 सूची मांगपत्र तैयार किया और अधिकारियों ने उनसे बात-चीत भी की परन्तु कोई समझौता नहीं हो सका.

अधिकारियों ने मजदूरों में फूट डालने के लिए ए.आई.आर. एफ. तथा एन.एफ.आई.आर. से सम्बद्ध दो मान्यताप्राप्त यूनियनों के नेताओं को वार्ता के लिए बुलाया और ये दो शाखाएं आन्दोलन से अलग हो गई क्योंकि उनके कुछ रिश्तेदारों को भर्ती की सूची में शामिल कर लिया गया. परन्तु इसके बावजूद आन्दोलन इतना तेज हुआ कि नागरिक अधिकारियों को हस्तक्षेप करना पड़ा और उनके आदेश से अधिकारियों ने 25 अप्रैल को गैरमान्यताप्राप्त यूनियनों को वार्ता के लिए बुलाया.

अधिकारियों ने इस वार्ता से पूर्व ही 27 तारीख से तालाबन्दी की एक नोटिस चिपका दी थी. अतः स्वाभाविक ही था कि समझौता हुआ, परन्तु अधिकारियों ने लिखित समझौता करने से इंकार करके दूसरे दिन से तालाबन्दी लागू कर दी, जो कतई गैरकानूनी है. अधिकारियों ने कहा कि मजदूरों द्वारा लिखित माफी मांगने तथा भविष्य में अच्छा व्यवहार करने का वादा करने पर ही तालाबन्दी समाप्त की जाएगी.

जब कि मान्यताप्राप्त यूनियनों ने मजदूरों में डर फैलाने में अधिकारियों की मदद की, द.म.रे.इ. यूनियन (सीटू) ने मामले को लिया.

संसद सदस्य समर मुखर्जी और सीटू केन्द्रीय कार्यालय के हस्तक्षेप से 3 मई को अधिकारी पुनः चार गैरमान्यताप्राप्त यूनियनों से वार्ता के लिए मजबूर हुए. इन यूनियनों ने यह सिद्ध कर दिया कि मजदूर उनके साथ हैं क्योंकि उनके द्वारा किए गए समझौते को मजदूरों ने स्वीकार कर लिया. अन्ततः 5 मई से तालाबन्दी खतम हो गई क्योंकि उम्मीदवारों की सूची को जाँच तथा दमन कार्रवाइयों पर पुनः विचार होना था.

इस जांच को न होने देने तथा मजदूरों को दण्डित करने के लिए अधिकारियों ने 19 मई से सेवा भंग थोप दिया जो कि साफ साफ समझौते का उल्लंघन है. द.म.रे.इ. यूनियन ने एक बार फिर से मामले को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय) हैदराबाद, के पास पेश किया है तथा सीटू का केन्द्रीय कार्यालय भी प्रयास कर रहा है. न्याय के लिए मजदूरों का संघर्ष जारी है.

ए. आई. आर. एफ द्वारा लम्बे संघर्ष का आह्वान

ए. आई. आर. एफ. की जनरल काउंसिल ने 29 मई से 1 जून तक वाल्टेयर में हुई अपनी बैठक में सर्वसम्मति से रेल कर्मचारियों को लम्बे संघर्ष के लिए हरकत में लाने का फैसला लिया. अपूर्ण मांगों और लागू न किए गये समझौतों का जिकर करते हुए प्रस्ताव में कहा गया है कि अब रेलवे बोर्ड के साथ वार्ता करने का न कोई उपयोग है और न कोई अर्थ ही क्योंकि रेलवे बोर्ड ने मनमानी करना तथा नये दमनकारी हमले शुरू कर दिए हैं. प्रस्ताव में कहा गया है कि "ट्रेड यूनियन कार्रवाइयों को दबाने के लिए एस्मा, एन. एस. ए. और नियम 14 (2) का प्रयोग रेल मजदूरों की न्यायोचित और जायज मांगों को पूरा करने में देरी शीघ्र सीधी कार्रवाई को सही सिद्ध करेगी" परन्तु ए. आर. आई. एफ. ने केवल 2 जुलाई और 8 अगस्त को क्रमश. मण्डल कार्यालयों तथा महाप्रबन्धक कार्यालयों पर प्रदर्शन मात्र के लिए मजदूरों को संगठित करने का निर्णय लिया है. यह भी निर्णय हुआ कि संगठन की अगली वार्षिक सभा, जो 9 से 12 अक्टूबर को होगी, सांगठनिक तैयारियों का जायजा लेकर संघर्ष के विषय में अन्तिम निर्णय लेगी.

परन्तु रेलकर्मचारियों के दूसरे संगठनों तथा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के साथ एकता की आवश्यकता का कोई जिकर नहीं किया गया है.

द. रे. इ. यूनियन का सम्मेलन

दक्षिण रेलवे इमप्लाईज यूनियन का वार्षिक अधिवेशन दि. 17-18 अप्रैल को इरोड में सम्पन्न हुआ जिसमें 350 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए राज्य कर्मचारी महासंघ के नेता तथा संसद सदस्य सुकोमल सेन ने रेलवे ट्रेड यूनियन आन्दोलन के इतिहास तथा उसकी शानदार परम्पराओं पर विस्तार से चर्चा की, जिन्हें द. रे. ई. यूनियन आगे बढ़ा रही है. इस यूनियन का बिना किसी मान्यता के 30 से भी अधिक वर्षों से अपनी गतिविधियों को जारी रखना इस बात का प्रमाण है कि रेलमजदूर इसके साथ जुड़े हुए हैं. सम्मेलन ने का. के. आनन्द नम्बियार तथा पी. वी. रामदास को पुनः अध्यक्ष और महामंत्री चुना. चौतरफा कार्रवाइयों का निर्माण करने के लिए कार्यकारिणी में कुछ नये साथियों को भी शामिल किया गया.

टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन द्वारा प्रतिगामी "समझोता"

टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन ने "नेशनल लेबर रिव्यू" नामक पत्रिका के अप्रैल अंक में विजयोल्लास के साथ घोषित किया है कि महिलाओं के कल्यण हेतु अपने कार्यक्रम के मुताबिक वे अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के साथ कपड़ा उद्योग में महिला रोजगार के दायरे को बढ़ाने के लिए एक समझौते पर पहुंच गये हैं. इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद वे महिला कामगारों की संख्या को 3000 से 6000 तक बढ़ा देंगें. टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन ने कहा, कि वर्ष 1975 में अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के दौरान उसने अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन के साथ महिला कामगरों की जगह पर महिलाओं को ही रखने सम्बन्धी एक समझौता किया था.

इसका दावा है कि यह मौजूदा समझौता और अधिक सुधार की ओर है क्योंकि कपड़ा मिलों का प्रशासन इस समय अहमदाबाद में मजदूरों के लायक कुछ नौकरियां केवल महिलाओं के लिए आरक्षित कर देगा. तत्पश्यात इस समझौते को सम्पूर्ण गुजरात राज्य की कपड़ा मिलों में विस्तारित किया जायगा जहां पर एन. एल. ओ. से सम्बद्ध यूनियनें बी. आई. आर. कानून के तहत प्रतिनिधि यूनियनें हैं.

टी. एल. ए. द्वारा किए गये उपरोक्त "समझौते" से ऐसा लगता है जैसे उन्होंने महिला कामगरों की मुक्ति हासिल कर ली है. महिला कामगरों की वास्तविक हालत कुछ और ही है. समझौते में इस बात को कहीं भी नहीं बताया गया है कि महिलाओं को रोजगार के दायरे में होने वाली बृद्धि की प्रक्रिया कब तक पूरी होगी. पुरुषों तथा महिलाओं दोनों ही के रोजगार में खतरनाक रूप से हो रही कमी तथा पूँजीवादी-भूस्वामी व्यवस्था के अन्तर्गत महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को देखते हुए कोई भी अच्छी तरह से समझ सकता है कि आने वाले वर्षों में विशेष रूप से महिला बेरोजगारी की क्या हालत होगी.

जब टी. एल. ए. ने महिला रोजगार के दायरे को बढ़ाने का स्वप्न देखा, तो उन्होंने खुद अहमदाबाद की मिलों से कामगार महिलाओं को बरखास्त किए जाने की परवाह नहीं की और न ही उनके आन्दोलनों के बारे में कुछ सोचा. अहमदावाद की अरविन्द मिल ने एक वर्ष से लेकर 16 वर्ष की सेवा वाली 24 महिलाओं की सेवाएं समाप्त कर दी. वे महिलाएं मई महीने से पुरुषों के साथ आन्दोलन तथा मिल गेट पर धरना देती रही हैं. सेवामुक्त कर्मचारियों को बहाल किए जाने के अलावा उनकी मांगे हैं; छुट्टी, पी एफ व बोनस की सुविधाएं तथा ठेकेदारी प्रथा का खात्मा आदि. परन्तु टी. एल. ए. का "महिला उद्धार" समझौता इन मामलों पर चोरी-चोरी मौन है. कामगार महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति ने बताया है कि, जिन कागार महिलाओं के विषय में टी. एल. ए. इतना चिन्तित है, वे 10 घण्टे काम करने के बदले प्रति दिन 5-6 रुपये का वेतन पाने वाली ठेका मजदूरिनें हैं.

टी. एल. ए. का यह समझौता इस सब के अलावा महिला कामगरों के साथ भेदभाव करता है क्योंकि इसने महिलाओं के लिए रीलिंग, वाइंडिग, डबलिंग, वाटररूम तथा सफाई आदि जैसे कुछ निश्चित विभागों में ही काम का प्राविधान रखा है. इस प्रकार यह समझौता महिलाओं के खिलाफ मुकदम, आइलर, फिटर अथवा अन्य किसी भी निरीक्षणात्मक पद के लिए रोक लगाता है. इस प्रकार यह समझौता दक्षता वाले कामों के लिए महिलाओं को पदोन्नत न करने की कांग्रेस शासन की नीतियों के पूर्णरूप से अनुकूल है. अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के दौरान टी. एल. ए. द्वारा किए गये समझौते के खिलाफ बहुत से ऐसे प्रमाण पेश किए जा सकते हैं कि कपड़ा मिलों में महिलाओं की जगहों पर पुरुषों को रखा जा रहा है. जब कि महिलाओं के लिए भर्ती की उम्र 18 से 25 वर्ष है, 28 से 35 वर्ष के बीच उम्र वाली महिलाओं को वह भी बदली मजदूर के रूप में भर्ती करने के लिए टी. एल. ए. द्वारा प्रशासन के साथ किया गया समझौता प्रशासन के गुप्त इरादों को ही मदद पहुंचाता है. प्रसवकालीन सुविधाएं तथा बच्चों के लिए शिशुगृहों का प्रबन्ध कामगर महिलाओं की प्रमुख मांगों में हैं. 28 से 35 वर्ष की आयु सीमा प्रशासन के द्वारा बहुत सोच विचार कर रखी गई है, क्योंकि इस आयु वर्ग की कामगार महिलाएं और बच्चे पैदा करना पसन्द नहीं करेंगी और न ही उनके पास छः वर्ष से कम उम्र के कोई बच्चे होंगे. इस प्रकार प्रसवकालीन सुविधा तथा शिशुसदन के सवालों को बहुत सोचे समझे तरीके से टाला जा रहा है. बदली मजदूर के रूप में भर्ती प्रशासन को और भी सुरक्षा प्रदान करती है क्यों कि बहुत सोच समझ कर यह सब करने के बावजूद भी यदि कोई दुर्घटना हो जाय तो बदली मजदूरों को एक ही धक्के में बाहर किया जा सकता है.

और अन्त में यह भी ताबूत में अन्तिम कील ठोंकने की तरह है कि इस समझौते को गुजरात की सभी मिलों में लागू किया जाएगा जहां कि बम्बई औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम के अनुसार नेशनल लेबर आर्गनाइजेशन से सम्बद्ध युनियनें प्रति-

(पृष्ठ 14 पर)

कोयला मजदूरों द्वारा देशव्यापी आन्दोलन की तैयारी

ऑल इण्डिया कोल वर्कर्स फेडरेशन ने 15-16 जून को कलकता में सम्पन्न अपनी बैठक में केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों तथा कोयला मज़दूरों के अन्य संगठनों के साथ मिलकर 6 लाख कोयला मज़दूरों का देशव्यापी संयुक्त आन्दोलन चलाने के लिए तैयारी करने का निर्णय किया.

बैठक ने पिछले द्विपक्षीय समझौते की कई धाराओं जैसे पीने के पानी का प्रवन्ध, गृह-निर्माण, स्वास्थ्य और शैक्षिक सुविधाओं आदि को लागू न करने के लिए कोल इण्डिया लि. के प्रशासन की निन्दा की. जब जे.बी.सी.सी.आई. इस विषय पर विचार कर रही थी तो इंटक ने कोल इण्डिया प्रशासन को मदद पहुंचाने के लिए अपने प्रतिनिधि को द्विपक्षीय मंच से वापस बुला लिया. इंटक लीडरों ने केन्द्रीय ऊर्जा-मंत्री गनी खान चौधरी तथा श्रम-मंत्री भगवत झा आजाद से मुलाकात की तथा इंटक के और अधिक प्रतिनिधियों को लेकर द्विपक्षीय मंच को पुनर्गठित करने की मांग की. श्रम मंत्रालय ने, अपने दुष्ट इरादों को हासिल करने में इंटक को मदद करने के लिए तेजी से जांच कराना शुरु कर दिया है. सीटू, एटक और एच.एम.एस. यूनियनों ने जांच का बहिस्कार करने का निर्णय लिया है तथा अविलम्ब जे.बी.सी.सी.आई. की बैठक बुलाने की मांग की है.

बैठक ने आगामी वेतन समझौता वार्ताओं के किये कोयला मज़दूरों के मांग-पत्र को अन्तिम रूप दिया. पुराना समझौता 31 दिसम्बर से समाप्त हो रहा है. समस्त सम्बद्ध यूनियनें 19 जुलाई को प्रत्येक खादान दफ्तर पर प्रदर्शन के साथ प्रशासन को मांग-पत्र देंगी.

राष्ट्रीय अभियान समिति के घटकों के निर्णयानुसार भावी देशव्यापी कार्यक्रम की रूपरेखा तै करने के लिए कोयला मज़दूरों का अखिल भारतीय सम्मेलन 21-22 अगस्त को धनबाद में होगा. फेडरेशन ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे सफल बनाने के लिए सभी यूनियनों का आह्वान किया है.

बैठक ने केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ, हड़ताल पर जाने के उनके निर्णय के पीछे, किए गए दो समझौतों को लागू न करने के लिए ईस्टर्न कोल फील्ड प्रशासन की निन्दा की. उन्होंने समझौते की धाराओं को शीघ्र लागू करने की मांग की है और ऐसा न होने पर ई.सी. एल. में दूसरी हड़ताल करने के लिए यूनियनें मजबूर हो जायेंगी.

बैठक ने पर्यावरण की समस्याओं पर ध्यान न देने के लिए सी.आई. एल. प्रशासन की क्रूरता की निन्दा की, जिसके कारण सरकार ने कई गावों को रहने के लिए असुरक्षित घोषित कर दिया है. कोयला निकालने के बाद बालू भरने का काम नहीं किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप जमीन के अन्दर बचे गड्ढे लोगों के जीवन को गम्भीर खतरा पैदा कर रहे हैं. मज़दूरों की सुरक्षा पर ध्यान न देने के कारण बहुत सी दुर्घटनाएं तथा जनहानियां हो चुकी हैं. कमेटी के 'कर्मचारी निरीक्षक' सम्बन्धी निर्णय को लागू नहीं किया है जब कि सुरक्षा को सुधारने के लिए ट्रेड यूनियनों के सुझावों पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है. बैठक ने इन विषयों पर मजदूरों को शिक्षित करने का निर्णय लिया जिससे कि प्रशासन पर दबाव डालने के लिए आन्दोलन का निर्माण किया जा सके.

बैठक ने वेतन को उत्पादकता से जोड़ने सम्बन्धी बी.पी.ई. के निर्देशों की निन्दा की और प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि उन्होंने इन निर्देशों को लागू करने की कोशिश की तो उन्हें देशव्यापी हड़तालों का सामना करना पड़ेगा.

बैठक ने चारों मजदूर विरोधी काले विधेयकों की निन्दा की तथा रा. अ. स. के निर्देशानुसार 8 जुलाई को प्रत्येक खदान पर प्रदर्शन करने का आह्वान किया.

फेडरेशन की वर्किंग कमेटी की बैठक 20 अगस्त को धनबाद में करने का फैसला लिया गया.

फेडरेशन का एक प्रतिनिधिमण्डल सी.आई.एल. के चेयरमैन से मिला और और उनका ध्यान कोयला मजदूरों में फैले असन्तोष की तरफ खींचा. फेडरेशन की तरफ से पेश किए गये एक ज्ञापन के माध्यम से कोयला मजदूरों को आन्दोलित करने वाली कुछ बड़ी समस्याओं पर प्रकाश डाला गया. एम.के. पंधे, सुनील बसु राय, बामपद मुखर्जी, हरधन राय, सन्तोष दत्ता, गोपीनाथ डे तथा एस. सुदेवन और राजू आदि प्रतिनिधि मण्डल में शामिल थे.

कामरेड पंकज आचार्या

'सीटू मज़दूर' 11 जून को 58 वर्षीया कामरेड पंकज आचार्या के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता है.

उन्होंने 5वें दशक की शुरुआत में एक ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता के रूप में काम करना शुरु किया और बाद में गणतांत्रिक महिला आन्दोलन में शामिल हो गईं. उन्होंने पश्चिम बंगाल गणतांत्रिक महिला समिति के महासचिव के पद पर काम किया और पिछले वर्ष मद्रास में सम्पन्न अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के प्रथम अधिवेशन में उपाध्यक्ष के पद पर चुनी गईं. उन्होंने वर्ग संघर्ष तथा सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रीयतावाद के सिद्धान्तों का दृढ़ता से पालन किया और मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी की प. बंगाल राज्य कमेटी की सदस्य चुनीं गईं. उनके निधन से जनवादी आन्दोलन ने एक महत्त्वपूर्ण साथी खो दिया है.

'सीटू मजदूर' उनके शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों को अपनी हार्दिक समवेदना प्रेषित करता है.

कहाँ है भारतीय खादानों में सुरक्षा व्यवस्था?

सार्वजनिक तथा निजी दोनों ही क्षेत्रों में भारत सरकार तथा खदान प्रशासन द्वारा दिखाई गई निर्दयता की आलोचना कई मौकों पर ट्रेड यूनियनों के द्वारा की गई. फिर भी सरकार ने खदानों में सुरक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए कोई गम्भीर कदम नहीं उठाया है.

दिसम्बर 1980 में दिल्ली में खदान सुरक्षा पर हुए 5वें सम्मेलन में ट्रेड यूनियनों ने इस प्रश्न को उठाया था और सरकार खदानों में सुरक्षा संगठन के काम की समीक्षा करने के लिए राजी हुई थी. अब भारत सरकार ने एक विशेष कमेटी का गठन किया है. इस कमेटी ने खदान और सुरक्षा महानिदेशक के कार्यालय की कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं को लेते हुए एक विस्तृत प्रश्नावली तैयार की है. सीटू सचिव एम.के. पंन्धे सीटू के विचारों से अवगत कराने के लिए कमेटी के समक्ष उपस्थित हुए.

सुरक्षा संगठन की वड़ी खामियों में से एक यह है कि खदान सुरक्षा महानिदेशक के कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या अपर्याप्त है, जब कि देशभर में फैली हुई खदानों में काम करने वाले मज़दूरों की संख्या करीब 10 लाख है. 143 तकनीकी अधिकारियों तथा बहुत थोड़े कर्मचारियों के साथ वर्ष में एक बार भी 500 कोयला खानों तथा 5,000 अन्य खदानों का निरीक्षण करना व्यावहारिक रूप से सम्भव नहीं है. और भी, सुरक्षा संगठन के अधिकारियों को मेहमानदारी, यातायात तथा आवासीय सुविधाओं आदि के लिए खदान प्रशासन पर निर्भर करना पड़ता है. अतः स्वाभाविक रूप से एहसानमन्द अधिकारी अक्सर सुरक्षा नियमों के पालन न किए जाने को नजरअन्दाज कर जाते हैं. महानिदेशक कार्यालय के वेतनमान तृतीय वेतन आयोग द्वारा नियंत्रित होते हैं जो कि कोयला खदानों में लागू वेतनमानों से बहुत कम हैं. सीटू ने सुरक्षा संगठन की कार्यप्रणाली को सुधारने के लिए अनिवार्य ज़रूरत के रूप में महानिदेशक कार्यालय के कर्मचारियों की हालत में सुधार करने की माँग की.

सीटू ने खदान बचाव संगठन को खदान सुरक्षा महानिदेशालय से अलग करके खदान प्रशासन के अधीन करने के प्रस्ताव की भी आलोचना की क्योंकि खदान प्रशासन इस मामले में यथोचित ध्यान नहीं देते हैं. सुरक्षा संगठन को और अधिक अधिकार दिए जाने चाहिए जिससे कि आदेश का पालन न करने वाले प्रशासन के खिलाफ कड़ी कार्यवाई की जा सके. मौजूदा दण्ड विधान मात्र प्रतीक भर है और उनका मौजूदा प्रशासन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है.

सीटू ने खदानों में सुरक्षा नियमों को लागू करने को सुनिश्चित बनाने के लिए अचानक जाँच किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया. जीतपुर जांच अदालत द्वारा 1973 में यह टिप्पणी किए जाने के बावजूद कि मशीनीकृत खदान इकाइयों की कम से कम तीन माह में एक बार जांच पड़ताल अवश्य होनी चाहिए, 9 वर्ष गुजर जाने के बाद भी अभी तक ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है.

सुरक्षा संगठन के द्वारा खदानों की कार्य-प्रणाली का समुचित निरीक्षण भी नहीं हो पाता है. यदि खदानों की कार्य-प्रणाली सही होती तो चसनाला की घटना को रोका जा सकता था.

दुर्घटनाओं के अध्ययन का कार्य भी गम्भीरतापूर्वक नहीं किया गया है और खदान अभिलेखों की विश्वसनीयता भी समुचित रूप से सत्यापित नहीं की जाती है. प्रायः दुर्घटनाओं की रिपोर्ट भी नहीं दी जाती है. रिपोर्ट करने योग्य तथा रिपोर्ट न करने योग्य दुर्घटनाओं के विभेदीकरण ने खदान सुरक्षा के सवाल को अत्यधिक नुकसान पहुंचाया है. अतः यह सुझाव है कि सभी दुर्घटनाकों का गहराई से विश्लेषण किया जाना चाहिए जिससे कि स्वयं उसी अथवा अन्य खदानों में उस तरह की दुर्घटनाओं को रोका जा सके.

यद्यपि सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की जा चुकी है, परन्तु बहुत सी खदानों में आन्तरिक सुरक्षा संगठन आज केवल कागजों तक ही सीमित है क्योंकि वे अपनी जिम्मेदारियों को सही अन्जाम नहीं देते हैं. उदाहरण के लिए टेक के लिए घटिया किस्म की बल्लियों का चुना जाना खदान दुर्घटनाओं के बड़े कारणों में एक है. परन्तु सुरक्षा अधिकारीगण मज़दूरों के विरोध के बावजूद ऐसी बल्लियों को लगाने देते हैं.

जहां कहीं भी खदान सुरक्षा कमेटियां मौजूद है, वे भी सही तरीके से काम नहीं करती हैं. इनकी बैठकें प्रशासन की सनक पर कभी-कभी होती हैं और वो भी बिना खास विचार विमर्श के खतम कर दी जाती हैं. यद्यपि कर्मचारी निरीक्षकों की नियुक्ति का प्रस्ताव इसी उद्देश्य से बनाई गई विशेष कमेटी के द्वारा रखा गया था, परन्तु उस रिपोर्ट को लागू करने के लिए सरकार ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है. कमेटी ने कर्मचारी निरीक्षकों का गुप्त-मतदान द्वारा चुनाव किए जाने की सिफारिस भी की थी. परन्तु कहीं पर भी इस प्रकार के कर्मचारी निरीक्षकों का चुनाव नहीं किया गया. परिणामतः मज़दूरों को खदानों का निरीक्षण करने तथा सुरक्षा नियमों के अनुपालन की मांग करने का व्यावहारिक रूप से

कोई अधिकार नहीं है. सीटू ने सभी खदानों में इस तरह के मजदूर निरीक्षक नियुक्त करने के लिए शीघ्र कदम उठाने की मांग की है.

सीटू ने खदानों में मशीनीकरण का विरोध किया तथा मशीनीकरण की पूरी नीति बदलने की मांग की क्योंकि इससे खदानों में बेरोजगारी और सामाजिक तनाव पैदा हो रहा है.

सीटू ने प्रबन्धकों की योग्यता प्रमाणपत्र सम्बन्धी स्तर को गिराने की भी आलोचना की, जिससे प्रशासन की क्षमता प्रभावित हुई है. सीटू ने कोयला तथा अन्य खदानों में स्वास्थ्य और पर्यावरण की पूर्ण उपेक्षा किए जाने की तीव्र आलोचना की. आई.एल.ओ. शिष्टमण्डल का कथन है कि कोयला खदानों में पेशेगत बीमारियों का अध्ययन व्यवस्थित रूप से नहीं होता रहा है. अन्य खदानों में स्थिति बदतर है. पेशागत बीमारियों से पीड़ित मजदूरों को प्रशासन की तरफ से समुचित सुरक्षा मिलने की बजाय उन्हें अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ता है. नौकरी छूट जाने के डर से मजदूर स्वास्थ्य परीक्षण का सामना करने से डरते है. अतः यह आवश्यक है कि पेशेगत बीमारियों के अध्ययन के लिए गम्भीर प्रयास किए जाएं तथा खदानों में काम करने के कारण इन बीमारियों के शिकार होने वाले मजदूरों की पूर्ण सुरक्षा का प्रबंध किया जाय.

सीटू ने ट्रेड यूनियनों द्वारा, सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किए जाने पर खदान प्रशान के खिलाफ, मुकदमा चलाने का अधिकार हासिल किए जाने पर भी जोर दिया. सीटू ने 1973 में संसद की सलेक्ट कमेटी द्वारा पेश की गई रिपोर्ट को, जिसमें खदान अधिनियम में काफी संशोधन किए जाने की सिफारिश की गई है, काट-छांट करने की तीव्र निन्दा की. श्रम मंत्री के बार-बार आश्वासनों के बावजूद वह विधेयक अभी तक पेश नहीं किया गया है. सीटू ने मांग की है कि ट्रेड यूनियनों से सलाह करके संसद के समक्ष एक विस्तृत विधेयक पेश किया जाय जिससे कि खदानों में सुरक्षा के उपायों को सुनिश्चित बनाया जा सके.

सीटू ने सरकार के इस नजरिए की निन्दा की है कि वह खदानों में सुरक्षा संगठन को मजबूत बनाए जाने के लिए धन की कमी का तर्क देती है. यह दृष्टिकोण खत्म होना चाहिए. अन्त में सीटू ने यह भी मांग की कि ट्रेड यूनियनों के साथ मिलकर सुरक्षा संगठन की कार्यप्रणाली की समय-समय पर समीक्षा करने के लिए महानिदेशालय स्तर पर एक सुयोग्य मशीनरी का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे कि सुरक्षा संगठन में यथोचित सुधार सम्भव हो सके.

ज्योर्जी दिमित्रोव की जन्म-शताब्दी

18 जून को सारी दुनिया में महान अन्तर्राष्ट्रीय सर्वहारा नेता ज्योर्जी दिमित्रोव की जन्म-शती मनाई गई. दिमित्रोव ने अपनी ट्रेड यूनियन कार्यवाइयों की शुरुवात बुल्गारिया में एक प्रेस मजदूर के रूप में की. मजदूर और पूँजीपति वर्गों के बीच हल न होने वाले अन्तर्विरोधों का तजुर्वा करते ही वे शीघ्र ही देश के समाजबादी आन्दोलन के अग्रणी नेता बन गए. वे बुल्गारिया की क्रान्तिकारी ट्रेड यूनियन की जनरल कौंसिल में चुने गए तथा तमाम अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में इसका प्रतिनिधित्व किया. सरकार की नीतियों का दृढ़ता-पूर्वक पर्दाफास करने तथा बड़ी-बड़ी हड़तालों को नेतृत्व देने के कारण उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया और जेलों में रखा गया.

पहले लेनिन और बाद में स्टालिन के साथ काम करते हुए दिमित्रोव के पूँजीबाद, सामाज्यवाद तथा फासीबाद विरोधी अदम्य संघर्षों ने उन्हें सर्वहारा के अन्तर्राष्ट्रीय नेता की अगली पंक्ति में पहुंचा दिया और वे तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय की कार्यकारिणी में चुने गए. जर्मनी की नाजी पार्टी के द्वारा उन्हें राइखस्टाग षडयंत्र में फंसाया गया. परन्तु उनके द्वारा सर्वहारा के क्रान्तिकारी आन्दोलन की दृढ़तापूर्वक की गई रक्षा ने नाजी षडयंत्र को पूर्णतया ध्वस्त कर दिया और उन्हें विश्व-व्यापी ख्याति प्रदान की. सन् 1935 में वे कम्युनिस्ट इन्टरनेशनल के महासचिव चुने गये.

भारत की मौजूदा परिस्थिति के लिए उनकी शिक्षाएं बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं. कांग्रेस शासन के अन्तर्गत बढ़ते अधिनायकवाद तथा मजदूरों के ट्रेड यूनियन और जनवादी अधिकारों पर हो रहे हमलों को देखते हुए आज की परिस्थितियां इसके खिलाफ संघर्ष करने के लिए ट्रेड यूनियन एकता तथा जनवादी ताकतों को ज्यादा से ज्यादा हरकत में लाने की मांग कर रही हैं. अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर भी सोवियत रूस तथा समाजवादी देशों को लक्ष्य बनाकर अमरीकी साम्राजियों द्वारा पैदा किया गया युद्ध तथा नाभिकीय विध्वंस का खतरा शान्ति व समाजवादी खेमे की सुरक्षा तथा सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रीयतावाद के झण्डे को बुलन्द रखने के लिए मजदूर तथा क्रान्तिकारी ताकतों को ज्यादा से ज्यादा लामबन्द करने की मांग करता है.

सीटू दिमित्रोव की याद में श्रद्धाञ्जलि अर्पित करता है तथा राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय रण-क्षेत्र में उनकी शिक्षाओं को सही तरीके से लागू करते हुए संघर्षों को आगे बढ़ाने की प्रतिज्ञा करता है.

युवा बेरोजगारी — मुख्य चिन्ता का विषय

आई.एल.ओ. के महानिदेशक ने 68वें अधिवेशन में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में बढ़ती हुई बेरोजगारी, विशेष रूप से युवा बेरोजगारी पर चिन्ता व्यक्त की. यह कहा गया है कि "आज दुनिया का हर पांचवा नागरिक 15 से 20 वर्ष के बीच की आयु का है. इसमें से 66 करोड़ 50 लाख विकासशील क्षेत्रों में केन्द्रित है और 60 प्रतिशत तो एशियावासी हैं. इनमें 45 करोड़ 10 लाख 20 वर्ष से नीचे हैं तथा 40 करोड़ 60 लाख वयस्क युबक हैं."

"सच्चाई यह है कि रोज़गार के बाजार में युवकों के आगमन से पैदा होने वाली समस्यायें औद्योगीकृत देशों की तुलना में विकासशील देशों में ज्यादा गम्भीर है. विकासशील देशों में चार गुना अधिक तरुण तथा तीन गुना अधिक वयस्क काम कर रहे हैं अथवा काम की तलाश में हैं."

भारत में युवकों की संख्या 13 करोड़ 90 लाख है. बाल-श्रमिकों की संख्या भयानक अनुपात तक पहुंच चुकी है. नामदर्ज बेरोज़गारों की संख्या जनवरी 1982 में 1 करोड़ 80 लाख तक पहुच चुकी है. 1980 में युवक बेरोजगारों की संख्या कुल बेरोजगारी की 67.2 प्रतिशत थी और इस क्षेत्र में भारत का स्थान तीसरा था.

नव उपनिवेशवादी शोषण

फिर भी रिपोर्ट में इन हालात के कारणों का कोई जिकर नहीं किया गया है. आई.एल.ओ. का चरित्र खरी बात कहने में असमर्थ है. विकासशील देशों में यह स्थिति इसलिए पैदा हुई हैं क्योंकि अधिकांशतः इनके शासक वर्ग पूंजीवाद के विनाश के युग में पूंजीवाद का विकास करने की कोशिश कर रहे हैं. इस प्रक्रिया में उन्होंने अपने आप को उन साम्राज्यबादी देशों के चंगुल में फंसा दिया है जिन्होंने अपनी सुरक्षात्मक नीतियों, विपरीत व्यापार सम्बन्धों तथा विश्व-बैंक एवं अ.मु.को. के कर्जों के माध्यम से इन देशों को अपनी नीतियां बदलने, एवं बहु-राष्ट्रीयों के द्वारा सस्ते श्रम के भयानक शोषण तथा प्राकृति सम्पदा की लूट के लिए अपने देशों के दरवाजे खोलने के लिए मजबूर कर दिया है. हम भारतवासी भी इन्हीं नीतियों का बोझ ढो रहे हैं.

खतरे का कारण

रिपोर्ट में कहा गया है कि, "युवकों द्वारा झेली जा रही बेरोजगारी की समस्यायें, चाहे वे जबरिया थोपी गई निष्क्रियता के शिकार हों अथवा साधारण तौर पर उन्हें असन्तोषजनक काम स्वीकार करना पड़ा हो, मानवीय और सामाजिक मूल्य शामिल होने तथा दूरगामी परिणामों दोनों ही कारणों से पूरी तरह से खतरे का संकेत दे रही हैं". आगे कहा गया है, "रोजगार में वृद्धि होने से वे लोग दूसरों की तुलना में ज्यादा सीधे और जल्दी प्रभावित होते हैं. सबसे अन्त में रोजगार में आने के कारण वे अनिवार्य रूप से सबसे पहले दमन के शिकार होते हैं. साथ ही साथ वे सदैव सबसे बाद में रोजगार में आ पाते हैं क्योंकि जैसे ही रोजगार की स्थिति सुधरती है, मालिकान सबसे पहले अनुभवी कामगारों की तरफ देखते हैं."

रिपोर्ट के अनुसार "बहुत से देशों में, चाहे वे औद्योगीकृत हों अथवा विकासशील शिक्षित युवक बेरोजगारों की संख्या खतरनाक स्थिति पर पहुंच रही हैं. रोजगार का स्तर अलग-अलग होता है और कुछ विशेष श्रेणिमां दूसरों की तुलना में कहीं अधिक प्रभावित होती हैं जैसे— गरीब परिवारों से आने वाले लोग कम शिक्षा और प्रशिक्षण पाए हुए लोग, युवा प्रवासी तथा विकलांग और महिलायें आदि. आर्थिक संकट और ढांचे की खामियों के कारण परंपरागत वेतन व्यवस्था वाले क्षेत्र रोजगार के बाजार में आने वाले युवकों को कम से कम रोजगार देने में सक्षम हो पाते हैं.

शिक्षा व्यबस्था

रिपोर्ट में कहा गया है कि, "यह आलोचना की जा रही है कि युवकों द्वारा हासिल की गई योग्यता आवश्यकता के अनुरूप नहीं है जिससे कि प्रशिक्षण का पूरा-पूरा सवाल उठता है. शिक्षाव्यवस्था विशेष रूप से माध्यमिक स्तर की शिक्षा-व्यवस्था आलोचना का बिषय बन चुकी है क्योंकि यह युवकों को उनके कामकाज के जीवन के लिए उचित रूप से प्रशिक्षित करने में असमर्थ है."

भारत की स्थिति कोई अलग नहीं है. दिसम्बर 1980 में रोजगार दफ्तरों में नामदर्ज बेरोजगारों की संख्या 1 करोड़ 60 लाख थी, शिक्षित बेरोजगार सात लाख पचास हजार थे, जिनमें से 24 हजार इंजीनियरिंग ग्रेज्युएट और पोस्ट ग्रेज्युएट थे. उन्हें रोजगार देने में असमर्थ भारत सरकार उच्च शिक्षा में कटौती का रास्ता अपना रही है. जिस नीति के खिलाफ लोग अभी संघर्ष कर रहे हैं.

तीव्र विरोध

रिपोर्ट पूंजीवादी और समाजवादी देशों के बीच तीव्र विरोधों पर प्रकाश डालती है. यह कहा गया है कि, "25

(शेष पृष्ठ 14 पर)

राज्यों के समाचार

केरल

डाक-तार कर्मचारियों का कठिन संघर्ष

डाक-तार कर्मचारी 19 जनवरी की हड़ताल के कारण बड़े पैमाने पर किए गए दमन के खिलाफ कठोर संघर्ष कर रहे हैं. अघोषित इमर्जेन्सी की अवस्था में सरकार की मजदूर-विरोधी नीतियों की खिलाफत करने वाली यूनियनों की साधारण कार्यवाइयों में हर तरह की बाधाएं डाली जा रही हैं. यूनियन-पदाधिकारियों का स्थानान्तरण, सभाओं के लिए इजाजत न देना तथा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनों के लिए दण्डित करना आम बात हो गई है. हड़ताल से पूर्व पोस्टर चिपकाने के लिए एक कर्मचारी के वेतन से 987 रुपये कटौती के आदेश दिए गये.

11 कर्मचारियों को सेवामुक्त, 18 को नोटिस, 30 को निलम्बित, 483 को स्थानान्तरित, 191 को चार्जशीट, 30 पर मुकदमें, 2,850 की सेवाभंग तथा 7,000 से भी ज्यादा कर्मचारियों को वेतन कटौती करके दण्डित किया गया है.

यूनियनों ने, सभाएं, पदयात्रा, धरना, क्रमिक भूखहड़ताल आदि करके तानाशाही निजाम को बेनकाव करने के किए जनता के बीच अभियान चलाया परन्तु सरकार ने हठपूर्वक दलालों के माध्यम से आन्दोलन को तोड़ने की कोशिश की. एकजुट मजदूरों ने 1 मई से असहयोग आन्दोलन शुरु किया, संचार मंत्री ने कहा कि वे बात नहीं करेंगे भले ही पूरी संचार व्यवस्था ठप्प क्यों न हो जाय. आन्दोलन ने सचमुच ही संचार व्यवस्था को ठप्प कर दिया परन्तु चुनाव को देखते हुए 16 मई से उसे स्थगित करना पड़ा. एन.एफ.पी.टी.ई. दमन वापस होने तक संघर्ष करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं.

मध्य प्रदेश

सिमको मजदूरों पर लाठी-वर्षा

16 जून को ग्वालियर स्थित विड़ला के सिमको स्टील फाउण्ड्री के मजदूरों पर पुलिस ने बुरी तरह लाठी चार्ज किया जिससे 15 मजदूर गम्भीर रूप से घायल हो गये. मजदूर सीटू के संयोजकत्व में बने संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा के झण्डे तले 40 सेवामुक्त मजदूरों की पुनर्वहाली की मांग को लेकर 75 दिन से कठिन संघर्ष कर रहे हैं. गेट पर शान्ति पूर्वक धरना देते हुए मजदूरों पर पुलिस टूट पड़ी तथा 16 मजदूरों को गिरफ्तार करके धारा 144 लगा दिया. फिर भी निडर मजदूरों ने अपने संघर्ष को और भी तेज कर दिया है.

विनोद विमल मिल में संघर्ष

उज्जैन में 8000 मजदूर मिलबन्दी के खिलाफ पिछले 9 महीनों से भी अधिक दिनों से कठिन संघर्ष कर रहे हैं. मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए गये सभी आश्वाशन झूठे सावित हुए है. विभिन्न ट्रेड यूनियनें एकजुटता के लिए आगे आ रही हैं. फिर भी मजदूरों का मनोबल काफी ऊंचा है और वे मिल के अधिग्रहण हेतु सरकार को मजबूर करने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं.

हीरा मिल को बन्द करने की धमकी

मिल मजदूर यूनियन (सीटू) ने 7 जून को प्रेस को दिए गये एक बयान में मध्य प्रदेश सरकार तथा नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन के प्रशासन पर उज्जैन की हीरा मिल को बिनोद मिल की तरह बन्द करने का षडयन्त्र रचने का आरोप लगाया है. बहुत से करघे पहले ही बन्द किए जा चुके हैं. प्रशासन ने मजदूरों के खिलाफ दमन जारी कर रखा है. बहुत से विभागों में आधे दिन की छटनी एक आम बात हो गई है. जरा सा भी विरोध करने पर मिलबन्दी की धमकी दी जाती है. श्रम विभाग को बार-बार आवेदन करने के बावजूद कोई परिणाम नहीं निकला. मिल मजदूर यूनियन ने मजदूरों से एकजुट रहने तथा मिलबन्दी की साजिश के खिलाफ कठिन संघर्षों के लिए तैयार होने का आह्वान किया है.

राजस्थान

बिजली मजदूरों के साथ एकजुटता

राज्य के विभिन्न हिस्सों में तमाम ट्रेड यूनियनों तथा मजदूरों द्वारा राज्य बिजली कर्मचारियों की अनिश्चित कालीन हड़ताल के समर्थन में गिरफ्तारियां देने सहित एकजुटता कार्यवाइयां की जा रही हैं. सरकार ने इंटक तथा असमाजिक तत्वों के सहयोग से बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी और वर्खास्तगी की धमकी के साथ दमन जारी कर रखा है. परन्तु निर्भय मजदूर पूरी सफलता के साथ हड़ताल जारी रखने पर अड़े हुए हैं.

हिन्दुस्तान जिंक कारखाने में दमन

उदयपुर के हिन्दुस्तान जिंक कारखने में सीटू यूनियन का गठन होते ही प्रशासन ने मजदूरों का दमन करने के लिए इंटक के साथ सांठ-गांठ कर लिया है. मजदूरों को सीटू से अलग रखने में असफल प्रशासन ने बिना आरोप पत्र तथा विभागीय जांच के ही तीन मजदूरों को वर्खास्त कर दिया. कारखाने के मजदूरों ने निकाले गये मजदूरों को पुनः बहाल कराने के लिए सीटू के नेतृत्व में संघर्ष छेड़ दिया है.

डूंगरपुर में सीटू यूनियन का गठन

सिटेक्स फैक्ट्री, डूंगरपुर के मजदूरों ने, जिनमें अधिकांशतः आदिवासी हैं, पुरानी यूनियन की मालिकपरस्त नीतियों से नाराज होकर 31 मई को गेट मीटिंग करके सीटू नेता का. आयलदास को भाषण देने के लिए बुलाया. मालिकों ने किराये के गुण्डों से मजदूरों को आतंकित करना चाहा, परन्तु भारी भीड़ ने उन्हें खदेड़ दिया. सभा के बाद मजदूरों ने सीटू यूनियन का गठन किया तथा सीटू के स्वागत में नारे लगाए. का. आयलदास ने मालिकों तथा उनके भाड़े के टट्टूओं के आक्रमणों से निर्भय रहने तथा अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए एकजुट संघर्ष छेड़ने के लिए मजदूरों का आह्वान किया.

उदयपुर सूती मिल पर धरना

उदयपुर काटन मिल्स (एन.टी.सी.) के मजदूरों ने यूनियन की मान्यता के लिए गुप्त मतदान कराने तथा बिजली की कमी को पूरा करने के लिए डीजल इंजन लगाने की मांग करते हुए अनिश्चितकालीन धरना और क्रमिक भूख हड़ताल का आयोजन किया. आन्दोलन से एक माह बाद श्रम विभाग मांगों को पूरा करने के लिए कदम उठाने हेतु लिखित आश्वासन देने के लिए मजबूर हुआ. संघर्ष से प्रेरित होकर बहुत बड़ी संख्या में इंटक समर्थक मजदूर सीटू में शामिल हो गये जिससे इंटक यूनियन मिल में एक मामूली ताकत रह गयी है.

पश्चिम बंगाल

जूट उद्योग का राष्ट्रीयकरण करो

पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री कृष्णपद घोष ने महीने में एक सप्ताह के लिए जूट मिलों को बन्द रखने के जूट सेठों के प्रस्ताव की निन्दा करते हुए जूट उद्योग के राष्ट्रीयकरण की मांग को पुनः दुहराया. 11 जून को सम्वाददाताओं के समक्ष बोलते हुए उन्होंने कहा कि जूट सेठों द्वारा संकट का बहाना मात्र केन्द्र से आर्थिक सहायता हासिल करने के लिए मलिकों पर दवाव डालने के बजाय सरकार ने उन्हें 100 करोड़ रुपये का अनुदान दिया है. केन्द्र के रवैय्ये ने मजदूर विरोधी रवैय्ये को जारी रखने में जूट सेठों की मदद की है.

बंगाल चटकल मज़दूर यूनियन के अध्यक्ष और महामंत्री नीरेन घोष एवं कमल सरकार ने 8 जून को एक बयान में कहा कि जूट मालिकों ने वेतनमानों और कार्यभार सम्बन्धी 1979 के समझौतों का उल्लंघन करते हुए आई. जे. एम. ए. अध्यक्ष की सलाह पर जानबूझ कर मिलों में तालाबन्दी तथा उत्पादन में कटौती शुरु कर दिया है. पिछले दशक में जूट यूनियनों ने 5 आम हड़तालों का नेतृत्व किया है. किसी भी अनिश्चितकालीन हड़ताल से कुछ भी बनने वाला नहीं है. वाममोर्चा सरकार ने तालाबन्दियों को पहले ही गैरकानूनी घोषित कर दिया था. परन्तु वित्त व वाणिज्य मंत्रियों के आश्वासनों के बावजूद केन्द्र ने हस्तक्षेप नहीं किया. बी. सी. एम. यु. ने इस मामले को जनता के बीच ले जाने के लिए एक दिन की हड़ताल तथा कलकत्ता में रैली करने का प्रस्ताव किया है. जूट सेठों के गलत कारनामों से निपटने के लिए राज्य सरकार को और अधिक अधिकारों की भी मांग की गई है. बयान में कच्चे जूट के व्यापार सहित सम्पूर्ण जूट उद्योग के राष्ट्रीयकरण के लिए भारत सरकार को मजबूर करने हेतु जोरदार संयुक्त आन्दोलन की तैयारियों के लिए अपील की गई है.

ट्रेड यूनियनों द्वारा रिजर्व बैंक प्रशासन की निन्दा

18 जून को पश्चिम बंगाल की तमाम यूनियनों ने एक संयूक्त बयान में रिजर्व बैंक प्रशासन द्वारा क्लीयरिंग हाउस से हटने तथा अपने कानूनी कार्यों को दूसरे बैंकों में स्थानांतरित करने की निन्दा की और कहा कि यद्यपि कर्मचारियों ने अपने कार्यक्रम के मुताविक ओबरटाइम का बहिस्कार किया था, परन्तु प्रशासन उन्हें इस तरह से बदनाम करना चाहता है जैसे उन्होंने धीमे काम करने का रास्ता अपनाया हो. इस तरह के कदम से प्रशासन ने जनता और राज्य सरकार की परेशानियों को बढ़ाया है. बयान में बैंक प्रशासन पर वार्ता के सभी दरवाजे बन्द करने तथा मनमानी वर्खास्तगी, निलम्बन, चार्जशीट, वेतन कटौती एवं अदालत से साधारण ट्रेड यूनियन कार्यवाहियों पर रोक लगाते हुए स्थगन आदेश लेने आदि जैसी प्रतिशोधात्मक कार्रवाइयां करने का आरोप लगाया गया है. यूनियनों ने बैंक प्रशासन से सभी दण्डात्मक कदमों को वापस लेने तथा समस्याओं को हल करने के लिए आल इण्डिया रिजर्व बैंक इम्प्लाइज एसोसिएशन के साथ वार्ता शुरू करने की मांग की है.

उत्तर प्रदेश

सरकार की मजदूर बिरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध सप्ताह

उ. प्र. की संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय समिति ने 8 जून को लखनऊ में सम्पन्न अपनी बैठक में राज्य एवं केन्द्र की कांग्रेस सरकारों की मजदूर विरोधी एवं दमनकारी नीतियों के खिलाफ 8 से 14 जुलाई तक राज्य-व्यापी विरोध सप्ताह मनाने का फैसला लिया. बैठक में सभी घटक इस बात पर एकमत थे कि उ. प्र. सरकार ने केन्द्र सरकार की नीतियों को लागू करने के लिए सभी गैर-इंटक एवं संघर्ष-शील यूनियनों के खिलाफ मालिकों के साथ मिलकर अभूतपूर्व दमन छेड़ दिया है. संयुक्त संघर्षों और हड़तालों को तोड़ने के लिए पुलिस की मदद से गुण्डों द्वारा आक्रमण कराए जा रहे हैं. समझौता

कार्रवाइयों का मजाक बनाया जा रहा है, समझौते तोड़े जा रहे हैं तथा यूनियन के सक्रिय कार्यकर्त्ताओं की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी एक आम बात हो गई है. सीटू की राज्य कमेटी ने बरेली में पुलिस ज्यादती के खिलाफ धरना देते हुए सीटू के अध्यक्ष का. हरसहाय सिंह को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की निन्दा की है. राज्य कमेटी ने 12-13 जून को अपनी बैठक में विरोध सप्ताह में सिरकत करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को हरकत में लाने का निर्णय किया है. विरोध सप्ताह के दौरान काले बिल्ले लगाने, प्रदर्शन, धरना, क्रमिक अनशन, जुलूस तथा रैलियों आदि का आयोजन किया जायगा.

मजदूर विरोधी काला विधेयक दिवस

राज्य कमेटी ने 8 जुलाई को मजदूर विरोधी काला विधेयक दिवस की सफलता के लिए तैयारियां शुरु कर दी हैं. राज्य की राजधानी तथा औद्योगिक केन्द्रों में प्रदर्शन और रैलियों के लिए विभिन्न ट्रेड यूनियनों को हरकत में लाने के लिए संयुक्त समन्वय समिति की बैठक की जायगी.

बम्बई के कपड़ा मजदूरों के साथ एकजुटता

संयुक्त समन्वय समिति ने बम्बई के कपड़ा मजदूरों की हड़ताल के समर्थन में एकजुटता कार्यवाहियां करने का भी निर्णय लिया है. माह के अन्त में अन्य ट्रेड यूनियनों से सलाह करने के बाद कोई एक तिथि तै की जायगी जबकि हड़ताली मजदूरों के साथ वार्ता शुरु करने की मांग करते हुए प्रदर्शनों, धरनों तथा क्रमिक अनशनों और रैलियों का आयोजन किया जायगा. राज्य कमेटी ने समस्त सम्बद्ध यूनियनों से महाराष्ट्र के श्रम मंत्री के पास विरोध-तार भेजने तथा हड़ताली मजदूरों के लिए संघर्ष कोष एकत्र करने के लिए कहा है.

कपड़ा मिल हड़ताल के समर्थन में एकजुटता कार्रवाईयां

महाराष्ट्र की समस्त गैरइंटक कपड़ा मिल यूनियनों ने ढाई लाख मिल मजदूरों की हड़ताल के समर्थन में 8 जुलाई को एक दिन की राज्यव्यापी हड़ताल करने का फैसला लिया है. 19 जून को बम्बई में उनके सम्मेलन में पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि यह एक दिन की हड़ताल चेतावनी हड़ताल होगी. यदि सरकार हड़ताली यूनियनों के साथ समझौता वार्ता शुरू नही करती है तो पूरे राज्य में अनिश्चित कालीन हड़ताल होगी. राज्य के कोने-कोने से आए 1000 प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में हिस्सा लिया. पी. के. कुर्णे (सीटू) जी वी चिटणीस (एटक), सोमनाथ दूबे, प्रभाकर मोरे (एच एम एस) यशवन्त चौहाण, डी एस कुलकर्णी (सर्व श्रमिक संघ) तथा डी एस वोर्डे (महाराष्ट्र गिरणी कामगार यूनियन) आदि ने सम्मेलन को सम्बोधित किया.

सीटू, एटक, एच एम एस, यु टी यु सी और बी एम एस की दिल्ली इकाइयों ने 21 जून को प्रधान मंत्री निवास पर धरना दिया. हड़ताली यूनियनों से वार्ता करने की मांग करते हुए एक ज्ञापन प्रधान मंत्री को दिया गया.

सीटू द्वारा और अधिक एकजुटता का आह्वान

सीटू अध्यक्ष बी टी रणदिवे ने 21 जून को निम्नांकित बयान जारी किया:

सीटू बम्बई के कपड़ा मजदूरों को, जिनका संघर्ष अब छठे माह में प्रवेश कर चुका है, बधाई देता है. उनकी एकता और दृढ़ निश्चय ने मजदूरों के ऊपर उनकी मर्जी के खिलाफ इंटक यूनियन थोपने के सरकार के प्रयासों को नंगा कर दिया है. उनका यह संघर्ष न केवल उनकी न्यायोचित आर्थिक मांगों की दृष्टि से बल्कि संगठन बनाने और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार की रक्षा एवं अनचाही यूनियनें थोपने की नीतियों के खिलाफ संघर्ष की दृष्टि से भी काफी महत्त्वपूर्ण हो गया है.

तमाम दमन और इंटक द्वारा हड़ताल तोड़कों के माध्यम से हड़ताल को तोड़ने के सभी उपाय व्यर्थ साबित होने के बावजूद संघर्षरत मजदूरों के साथ वार्ता करने से हठधर्मी के साथ इंकार करने के लिए सीटू सरकार की निन्दा करती हैं. मजदूरों के काम पर वापस आ जाने के बाद उनकी मांगों पर हमदर्दी पूर्वक विचार करने का सरकार का अस्पष्ट आश्वासन बिना शर्त समर्पण करने का खुला आह्वान मात्र है जिसे मजदूरों ने ठीक ही नामंजूर कर दिया है.

सीटू मांग करता है कि सरकार समझौता करने के लिए संघर्षरत मजदूरों के साथ शीघ्र वार्ता शुरू करें. सीटू दिल्ली में प्रधानमंत्री निवास पर धरना देने तथा सम्पूर्ण महाराष्ट्र में 8 जुलाई को चेतावनी हड़ताल और उसके बाद अनिश्चित कालीन हड़ताल करने के निर्णय आदि तमाम देशव्यापी एकजुटता कार्यवाहियों की प्रशंसा करता है और इन कार्रवाइयों को और भी आगे बढ़ाने के लिए सीटू यूनियनों का आह्वान करती है जिससे कि सरकार को बिना किसी देरी के समझौता करने के लिए मजबूर किया जा सके.

पिछले अंक में जनरल काउंसिल के सदस्य एम.ए. सईद का नाम, जो कि पश्चिम बंगाल विधान सभा के लिए चुने गए हैं, भूल से नहीं छप सका. हम इसके लिए क्षमा चाहते हैं.

—सम्पादक

न्यूनतम वेतन

(पृष्ट 4 का शेष)

असफलता ने यह स्थिति पैदा की है. उन्होंने स्वयं अधिनियम में ही कुछ बड़े दायरे वाले परिवर्तन की मांग की. यह निर्णय हुआ कि बोर्ड के सदस्य अपनी इच्छानुसार संशोधन के सुझाव देंगे.

9. सरकार ने स्वीकार किया कि बहुत से राज्यों ने अधिनियम को लागू करने के लिए यथोचित मशीनरी की व्यवस्था के लिए और धन की माँग की है. यह निर्णय किया गया कि और धन की व्यवस्था के सवाल पर श्रम-सचिव विचार करेंगे. कानून लागू होने को सूनिश्चित बनाने के लिए त्रिपक्षीय मशीनरी की व्यवस्था सम्बन्धी सीटू की मांग को सरकार ने अस्वीकार कर दिया.

10. 30 मई 1928 को अपनाए गए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संगठन के न्यूनतम वेतन निर्धारण मशीनरी कनवेन्शन तथा कनवेन्शन नं. 131 की सरकार द्वारा अभिपुष्टि किए जाने सम्बन्धी सीटू की मांग के विषय में सरकार ने कहा कि वे इनकी अभिपुष्टि तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि उन्हें लागू करने की स्थिति में न हों.

11. अपने अनुभव का बयान करते हुए उमानाथ ने कहा कि प्रयत्नों के बावजूद न्यूनतम वेतन निर्धारित करने की कसौटी तै नहीं की जा सकी. न्यूनतम वेतन के क्षेत्र में अराजकता जो कि 210 रुपये (मध्य प्रदेश) तथा 340 रुपये (हरियाणा) प्रतिमाह के बीच है तथा अस्थाई महंगाई-भत्ता 45 पैसे तथा 1.20 रुपये प्रति प्वाइंट प्रति माह अभी भी जारी है. अतः 15वीं इण्डियन लेबर कॉनफ्रेंस के मानदण्डों के अनुसार आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन के लिए एक शक्तिशाली आन्दोलन आवश्यक है.

कामगार महिलायें

(पृष्ट 6 का शेष)

निधि संगठन हैं. मजदूर वर्ग अभी भी बी. आई आर. एक्ट के उपहारों को बम्बई की कपड़ा मिलों में देख रहा है. एक तरफ इस कानून को खतम करने की मांग को लेकर बम्बई के ढ़ाई लाख कपड़ा मजदूर लगातार 5 महीने से हड़ताल पर हैं तो दूसरी तरफ टी. एल. ए. ने प्रशासन के साथ यह प्रतिक्रिया-वादी समझौता करके मजदूरों की पीठ पर छूरा भोंका है तथा कामगार महिलाओं की स्थिति को और भी असुरक्षित बना दिया है.

अखिल भारतीय कामगार महिला समन्वय समिति ने इस समझौते की निन्दा की है.

गुजरात के कपड़ा मिल मजदूरों को चाहिए कि इस समझौते को पूरी तरह से नामंजूर कर दें तथा महिला कामगारों की उचित मांगों को लेकर संयुक्त मजदूर आन्दोलन का निर्माण करें.

युवा बेरोजगारी

(पृष्ट 10 का शेष)

O.E.C.D. के औद्योगिकृत देशों में युवा बेरोजगारी दस साल पहले के दस लाख की तुलना में 60 लाख 50 हजार हो गई जो कि पूरी तरह से खतरनाक वृद्धि है." रिपोर्ट कहती है कि, "केन्द्रीय रूप से सुनियोजित अर्थव्यवस्था वाले देशों (समाजवादी देश-सं.) में समस्याएं पूरी तरह से भिन्न हैं. वहां पर बेरोजगारी नहीं है और न ही हो सकती है, क्योंकि सम्बिधान के द्वारा काम के अधिकार की गारण्टी की गई हैं. तो क्या यह आश्चर्य की बात है कि प्रत्येक देश के युवक काम के अधिकार को जनता के न्ययोचित बुनयादी अधिकार के रूप में माने जाने की मांग कर रहे हैं? यदि पूँजीवादी शासक इसकी गारण्टी नहीं कर सकते हैं तो जनता बेरोजगारी के खतरे को खतम करने के लिए समाजवाद का रास्ता अपनायेगी.

संगठन की स्वतन्त्रता का उल्लंघन

महानिदेशक की रिपोर्ट में बढ़ रहे "संगठन तथा सामूहिक सौदेबाजी के अधिकारों" के उल्लंघन की रिपोर्टों पर भी चिन्ता व्यक्त की गई है. रिपोर्ट कहती है कि "इधर हाल के वर्षों में प्राप्त शिकायतों में नाटकीय वृद्धि हुई है (अप्रैल 81 से 86 नये मामले). इस प्रकार नवम्बर 81 में कमेटी के सम्मेलन के सामने 41 देशों से सम्बन्धित 108 मामले थे.

भारत से भी बहुत सी रिपोर्टें दर्ज की गई हैं. बढ़ रहे संकट को हल करने में असमर्थ शासक वर्ग ट्रेड यूनियन कार्रवाइयों को खतम करने की कोशिश कर रहे हैं. एस्मा एन. एस. ए. और चार नये विधेयक अधिनायकवादी मुहिम के हिस्से हैं. हर कदम पर संघर्ष करते हुए भारत और अन्य देशों के भी मजदूर विश्व संगठनों को आक्रमणों की सूचनाएं देते रहते हैं.

संपादक मंडल

बी.टी. रणदिवे (**अध्यक्ष**)

पी. राममूर्ति — मनोरंजन राय

नीरेन घोष — सुधीन कुमार

एम.के. पंधे (**संपादक**)

संक्षिप्त समाचार

श्रीनगर स्थित एच. एम. टी. फैक्ट्री के मजदूरों द्वारा सीटू के नेतृत्व में छेड़े गये जोरदार संघर्ष ने प्रशासन को 14 मई को तालाबन्दी खत्म करने के लिए मजबूर कर दिया. एच. एम. टी. इम्प्लाईज यूनियन ने दो सेवामुक्त कर्मचारियों की बहाली के लिए आन्दोलन छेड़ रखा था. प्रशासन ने मजदूरों को साम्प्रदायिक आधार पर बांटने की कोशिश की, परन्तु दृढ़ एकता को तोड़ने में असफल होने पर तालाबन्दी घोषित कर दी. महिलाओं सहित मजदूरों ने भूख हड़ताल कर दी. पुलिस ने काफी दमन किया और भारी वर्षा तथा ठण्ड में उनके तम्बू को उखाड़ दिया परन्तु निर्भीक मजदूरों ने हड़ताल जारी रखा और मांग मानने के लिए प्रशासन को मजबूर कर दिया. समझौते के अनुसार सेवामुक्ति के मामले तथा साथ ही साथ तालाबन्दी की वैधानिकता पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा मध्यस्थता की जायगी.

* * *

म्युनिसिपल वर्कर्स यूनियन (सीटू) का 12 वां वार्षिक अधिवेशन 30-31 मई को दिल्ली में सम्पन्न हुआ. सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए दिल्ली राज्य सीटू महासचिव, संसद सदस्य, सुशील भट्टाचार्या ने कांग्रेस शासन की बढ़ती तानाशाही के खिलाफ ट्रेड यूनियन एकता को मजबूत करने तथा मजदूरों की समस्त श्रेणियों के साथ मिलकर एकजुट आन्दोलन छेड़ने का आह्वान किया. चाचा शादी राम और वचन सिंह क्रमशः अध्यक्ष और महासचिव चुने गये.

* * *

होटल मजदूर यूनियन शिमला ने विक्ट्री होटल के मालिक के खिलाफ चार मजदूरों की बहाली के लिए 8 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल की और 42 दिन तक संघर्ष करने के बाद मजदूरों को काम पर वापस लेने के लिए मालिकों को मजबूर कर दिया.

* * *

बिहार के 16 हजार विश्वविद्यालय शिक्षकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल 13 जून से तीसरे महीने में पहुंच चुकी है. विश्व विद्यालयों को, जिन्होंने समय से पहले ही गर्मी की छुट्टियां कर दी थी खुलने के बाद पुनः बन्द करना पड़ा. सरकार ने दमन के इरादे से संयुक्त संघर्ष समिति के सभी 13 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया परन्तु संघर्ष के दबाव में उन्हें छोड़ना पड़ा.

सीटू ने स्थापना दिवस मनाया

सीटू के नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय कार्यालय पर 30 मई को सीटू का स्थापना दिवस मनाया गया. दिल्ली तथा आस पास के औद्योगिक इलाकों से महिला मज़दूरों सहित लगभग 500 मजदूरों ने समारोह में हिस्सा लिया. सरकार की मजदूर-विरोधी नीतियों के खिलाफ तथा एन. एस. ए. और एस्मा जैसे काले कानूनों को रद्द करने के लिए नारे लगाते हुए तथा सीटू के झण्डे को बुलन्द रखते हुए मजदूरों की टोलियों ने केन्द्रीय कार्यालय की तरफ मार्च किया.

केन्द्रीय कार्यालय का पूरा मैदान लाल झण्डों तथा छोटी-छोटी झण्डियों से सजाया गया था. सीटू के 13 झण्डे केन्द्रीय मैदान में लहराए गये थे. बीच में गड़े हुए सबसे बड़े झण्डे का सीटू-कोसाध्यक्ष का. समर मुखर्जी ने फहराया. सभा से पूर्व दिल्ली की गानमण्डली 'परचम' ने अपने गीत पेश किए.

सीटू अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे ने सीटू के उद्देश्यों तथा नीतियों की व्याख्या की तथा पिछले 12 वर्षों में कठिन संघर्षों के बीच सीटू की प्रगति पर प्रकाश डाला. उन्होंने कांग्रेस सरकार की बढ़ती तानाशाही के खिलाफ जनवादी ताकतों को हरकत में लाने, किसानों एवं खेतिहर मजदूरों के साथ मित्रता के लिए काम करने, सर्वधरा अन्तर्राष्ट्रीयतावाद के झण्डे को बुलन्द करने तथा अमरीकी साम्राज्यवाद की जंगी योजनाओं के खिलाफ शान्ति और समाजवादी खेमें की रक्षा के लिए संघर्षों को विकसित करने हेतु सीटू की स्वतन्त्र गतिविधियों को तेज करते हुए ट्रेडयूनियन एकता तथा संयुक्त संघर्षों के लिए कोशिश करने के लिए मजदूरों का आह्वान किया.

समारोह की समाप्ति जननाट्य मंच दिल्ली द्वारा पेश किए गए दो नाटकों के साथ हुई.

राज्य कमेटियों ने भी विभिन्न राज्यों की राजधानियों में स्थापना दिवस मनाया. इसी तरह से सीटू-सम्बद्ध बहुत सी यूनियनों ने भी स्थापना दिवस मनाया जिनमें मजदूरों के विभिन्न तपकों ने हिस्सा लिया.

सी. जी. टी. कांग्रेस को सीटू का संदेश

13 से 18 जून 1982 तक लिली में हो रही आपकी 41वीं कांग्रेस के प्रतिनिधियों को हार्दिक बधाई. हम फ्रांसीसी मजदूरों के काम और रहन-सहन की हालतों को सुधारने तथा सारी दुनिया को नाभिकीय युद्ध में झोंकने की साम्राजी साजिशों के खिलाफ संघर्षों में पूर्ण सफलता की कामना करते हैं. भारतीय फ्रांसीसी मजदूरों की दोस्ती जिन्दाबाद ! सीटू तथा सी.जी.टी. की दोस्ती जिन्दाबाद !

अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष

दमन और युद्ध के खिलाफ तथा रोजगार के लिए

तुर्की: तुर्की में सैनिक शासन ने अपने सत्ता सम्हालने के वक्त से ही सभी सामाजिक समूहों पर दमनचक्र चला रखा है. "कम्युनिस्टों के साथ हमदर्दी रखने के कारण" 300 अफसरों को गिरफ्तार कर लिया गया है. डी आई एस के नामक ट्रेड यूनियन सेन्टर के 52 नेताओं पर इस्तम्बूल में मुकदमा चलाया जा रहा है. परन्तु इस आतंक राज के बावजूद सैनिक शासन के खिलाफ मजदूर आन्दोलन का दबाव बढ़ रहा है.

मोरक्को: रबात के प्रतिक्रियावादी शासन ने कैसाब्लांका में 20 जून 1981 की आम हड़ताल के समय 600 कार्यकर्त्ताओं की निर्मम हत्या करने के बाद, डेमोक्रेटिक कनफेडरेशन आफ लेबर और सोशलिस्ट यूनियन आफ पपुलर फोर्सेस के छः नेताओं के खिलाफ 17 मई को एक नया मुकदमा शुरू कर दिया है 1500 मजदूरों को जेलों में बन्द किया जा चुका है. इस बर्बर दमन के बावजूद बड़े साम्राजी इजारेदारों की हितरक्षक रबात सरकार के खिलाफ संयुक्त मजदूर आन्दोलन खड़ा हो रहा है.

स्पेन: एस्टोरिया में दो लाख से ऊपर मजदूरों ने 16 अप्रैल से काम बन्द कर दिया. इस हड़ताल का आह्वान नौकरी की सुरक्षा की मांग के लिए वर्कर्स कमीशन और जनरल फेडरेशन आफ वर्कर्स (UGT) की तरफ से किया गया था. पिछले दो वर्षों के दौरान 267 उद्यमों को बन्द किया गया जिससे 17373 मजदूर बेरोजगार हो गये.

बेल्जियम: 24 अप्रैल को देश के कोने कोने से आए हुए लगभग 30 हजार युवकों और युवतियों ने रोजगार की मांग को लेकर ब्रसेल्स संसद के समक्ष प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों को भगाने के लिए पुलिस हिंसक होकर उनपर टूट पड़ी. प्रदर्शनकारियों ने पत्थरों तथा मोलोटोव काकटेल की बौछार करके इसका जवाब दिया.

बेल्जियम में कुल बेरोजगारों में 37 प्रतिशत संख्या नवयुवकों की है.

कनाडा: सास्केचवान में अपनी 16 दिन पुरानी हड़ताल को गैरकानूनी घोषित किए जाने के लिए 5 हजार चिकित्सालय कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ सामूहिक प्रदर्शन किया. अधिक रोजगार की मांग को लेकर इस हड़ताल का आह्वान मोजे जा लेवर काउंसिल के द्वारा किया गया था. कनाडा में मार्च महीने तक बेरोजगारी 9% तक पहुंच चुकी है जो कि सन 1946 से 39 वर्षों में सबसे अधिक है.

ब्राजील: 54 हजार कार मजदूरों की छः दिन की हड़ताल ने 'अन्तर्राष्ट्रीय तथा ब्राजील के निगमों को मजदूरों की आर्थिक मांगे पूरी करने के लिए मजबूर कर दिया सावो बर्नाडो डि कैम्पो के विशाल औद्योगिक क्षेत्र में मर्सिडीज बेन्ज, फोर्ड, वोल्क्सवैजन साब सानिया तथा आटोपार्ट्स फैब्रिम आदि उद्यम इस हड़ताल से प्रभावित हुए.

पेरु: प्रशासन में मजदूरों की भागीदारी तथा मुनाफे में उनके हिस्सों को समाप्त करने वाले नये औद्योगिक कानून को वापस लेने की मांग को लेकर 5 लाख मजदूरों ने 31 मई से अनिश्चित कालीन हड़ताल कर दी.

आस्ट्रेलिया: सिडनी में 45 हजार की विशाल जमायत ने हाइड पार्क में एकत्रित होकर आस्ट्रेलिया में अमरीकी सामरिक अड्डों की इजाजत की निन्दा की. मेलबोर्न में अयोजित 40 हजार लोगों की एक दूसरी विशाल रैली ने नाटो की योजनाओं और नीतियों की भर्त्सना की.

ब्रिटेन: रीगन की यात्रा से पूर्व 6 जून को नाभिकीय निरस्त्रीकरण के लिए अभियान द्वारा आयोजित ढाई लाख की विशाल रैली ने लंदन में हाइड पार्क को जाम कर दिया. इस रैली ने रीगन और थैचर की जंगबाजों के रूप में निन्दा की.

पश्चिम जर्मनी: फ्रांस: 11 जून को रीगन के यूरोपीय दौरे के समय पुलिस तथा हजारों रीगन-विरोधी प्रदर्शनकारियों के बीच सड़कों पर हुई मुठभेड़ में बर्लिन को हिला दिया बोन में प्रदर्शनकारियों ने एक अमरीकी झण्डा जला दिया.

एक ऐसी ही मुठभेड़ फ्रांस में ला वैसिल महल में हुई.

अमरीका: 12 जून को अमरीका के इतिहास में सबसे बड़ा प्रदशन हुआ जिसमें 5 लाख लोगों ने न्यूयार्क स्थिति अमरीकी मुख्यालय पर मार्च किया और निरस्त्रीकरण के लिए एक विशेष अधिवेशन आयोजित किया. बाद में प्रदर्शनकारियों ने सेन्ट्रल पार्क में एक विशाल सभा की जिसमें तीन विशाल बैनर लगाए गये थे और उनपर लिखा था "हथियारों की दौड़ खतम करो", "नाभिकीय हथियारों को समाप्त करो", तथा "मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए धन लगाओ". 15 जून को न्यूयार्क के इतिहास में पहलीबार 1700 की विशाल संख्या में लोगों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया.

सीटू वर्किंग कमेटी की बैठक

सीटू वर्किंग कमेटी की बैठक 23 से 25 जुलाई तक बंगलौर में होगी. कृपया बंगलौर पहुंचने तथा वापसी आरक्षण के लिए निम्न पते पर सूचित करें : सी. नांजुंदप्पा, महासचिव सीटू, कर्नाटक राज्य कमेटी कमरा नं. 4, रतन महल, 4था क्रास, सम्पेगी रोड़, मालिएश्वरम, बंगलौर-560 003

एम.के. पंधे द्वारा सेंटर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियंस के लिए 6 तालकटोरा रोड़, नई दिल्ली-110001 (फोन : 384071) से प्रकाशित और प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, सी 52-53 डी.डी.ए. शेड्स, ओखला फेज-I, नई दिल्ली-110020 से मुद्रित.